

CABINET APPROVES MAJOR REFORMS IN TELECOM SECTOR

Telecom Reforms to boost employment, growth, competition and consumer interests. Liquidity needs of Telecom Service Providers addressed

The Union Cabinet, chaired by the Prime Minister Shri Narendra Modi, approved a number of structural and process reforms in the Telecom sector. These are expected to protect and generate employment opportunities, promote healthy competition, protect interests of consumers, infuse liquidity, encourage investment and reduce regulatory burden on Telecom Service Providers (TSPs).

In the backdrop of the outstanding performance of the Telecom Sector in meeting COVID-19 challenges, with huge surge in data consumption, online education, work from home, interpersonal connect through social media, virtual meetings etc., the Reform measures will further boost the proliferation and penetration of broadband and telecom connectivity. The Cabinet decision reinforces the Prime Minister's vision of a robust Telecom Sector. With competition and customer choice, antyodaya for inclusive development and bringing the marginalized areas into the mainstream and universal broadband access to connect the unconnected. The package is also expected to boost 4G proliferation, infuse liquidity and create an enabling environment for investment in 5G networks.

Nine structural reforms and Five procedural reforms plus relief measures for the Telecom Service Providers are as below:

STRUCTURAL REFORMS

1. **Rationalization of Adjusted Gross Revenue:** Non-telecom revenue will be excluded on prospective basis from the definition of AGR.
2. **Bank Guarantees (BGs) rationalized:** Huge

कैबिनेट ने दूरसंचार क्षेत्र में बड़े सुधारों को मंजूरी दी

रोजगार, विकास, प्रतिस्पर्धा और उपभोक्ता हितों को बढ़ावा देने के लिए दूरसंचार सुधार। दूरसंचार सेवा प्रदाताओं की नकदी (लिक्व्यूडिटी) आवश्यकताओं को संबोधित किया

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हालही में दूरसंचार क्षेत्र में कई संरचनात्मक और प्रक्रिया सुधारों को मंजूरी दी। इनसे रोजगार के अवसरों की रक्षा और सृजन, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने, उपभोक्ता हितों की रक्षा करना, नकदी बढ़ाने, निवेश को प्रोत्साहित करने और दूरसंचार सेवा प्रदाताओं (टीएसपी) पर नियामक बोझ को कम करने की उम्मीद है।



कोविड-19 की चुनौतियों का सामना करने में दूरसंचार क्षेत्र का उत्कृष्ट प्रदर्शन न की पृष्ठभूमि में, डेटा की खपत में भारी उछाल, ऑनलाइन शिक्षा, घर से काम, सोशल मीडिया के माध्यम से पारस्परिक संपर्क, वर्चुअल मीटिंग आदि के साथ, सुधारों के उपायों से ब्रॉडबैंड और दूरसंचार कनेक्टिविटी के प्रसार और पैठ को और बढ़ावा मिलेगा।

कैबिनेट का फैसला एक मजबूत दूरसंचार क्षेत्र के प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण को पुष्ट करता है। प्रतिस्पर्धा और ग्राहकों के पसंद के साथ, समावेशी विकास के लिए अंत्योदय और असंबद्ध को जोड़ने के लिए हाशिए के क्षेत्रों को मुख्यधारा और सार्वभौमिक ब्रॉडबैंड पहुंच में लाना। इस पैकेज से 4जी प्रसार को बढ़ावा देने, नकदी को बढ़ाने और 5जी नेटवर्क में निवेश के लिए अनुकूल माहौल तैयार करने की भी उम्मीद है।

दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के लिए नौ संरचनात्मक सुधार और पांच प्रक्रियात्मक सुधार और राहत उपाय नीचे दिये जा रहे हैं:

संरचनात्मक सुधार

1. **समायोजित सकल राजस्व का युक्तिकरण:** गैर-दूरसंचार राजस्व को एजीआर की परिभाषा से संभावित आधार पर बाहर रखना जायेगा।
2. **बैंक गारंटी (बीजी) को युक्तिसंगत बनाया गया:** लाइसेंस

TELECOM REFORMS

reduction in BG requirements (80%) against License Fee (LF) and other similar Levies. No requirements for multiple BGs in different Licenced Service Areas (LSAs) regions in the country. Instead, One BG will be enough.

3. **Interest rates rationalized/ Penalties removed:** From 1st October, 2021, Delayed payments of License Fee (LF)/Spectrum Usage Charge (SUC) will attract interest rate of SBI's MCLR plus 2% instead of MCLR plus 4%; interest compounded annually instead of monthly; penalty and interest on penalty removed.
4. For Auctions held henceforth, no BGs will be required to secure instalment payments. Industry has matured and the past practice of BG is no longer required.
5. Spectrum Tenure: In future Auctions, tenure of spectrum increased from 20 to 30 years.
6. Surrender of spectrum will be permitted after 10 years for spectrum acquired in the future auctions.
7. No Spectrum Usage Charge (SUC) for spectrum acquired in future spectrum auctions.
8. Spectrum sharing encouraged- additional SUC of 0.5% for spectrum sharing removed.
9. To encourage investment, 100% Foreign Direct Investment (FDI) under automatic route permitted in Telecom Sector. All safeguards will apply.

PROCEDURAL REFORMS

1. Auction calendar fixed - Spectrum auctions to be normally held in the last quarter of every financial year.
2. Ease of doing business promoted - cumbersome requirement of licenses under 1953 Customs Notification for wireless equipment removed. Replaced with self-declaration.
3. Know Your Customers (KYC) reforms: Self-KYC (App based) permitted. E-KYC rate revised to only One Rupee. Shifting from Prepaid to Post-paid and vice-versa will not require fresh KYC.
4. Paper Customer Acquisition Forms (CAF) will be replaced by digital storage of data. Nearly 300-400 crore paper CAFs lying in various warehouses of TSPs will not be required. Warehouse audit of CAF will not be required.
5. SACFA clearance for telecom towers eased. DOT will accept data on a portal based on self-declaration

शुल्क (एलएफ) और अन्य समान लेवी के खिलाफ बीजी आवश्यकताओं (80%) में भारी कमी। देश में विभिन्न लाइसेंस प्राप्त सेवा क्षेत्रों (एलएसए) क्षेत्रों में एकाधिक बीजी के लिए कोई आवश्यकता नहीं है। इसके बजाय, एक बीजी पर्याप्त होगा।

3. **ब्याज दरों को यक्तिसंगत/दंड हटाया गया:** 1 अक्टूबर 2021 से लाइसेंस शुल्क (एलएफ)/स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क (एसयूसी) के विलंबित भुगतान पर एमवीआई के एमसीएलआर प्लस 4% की ब्याजदर के स्थान एमसीएलआर प्लस 2% का ब्याजदर आकर्षित करेगा, मासिक के बजाय सालाना चक्रवृद्धि ब्याज, जुर्माने पर जुर्माना और ब्याज हटाया गया है।
4. अब से आयोजित नीलामी के लिए, किश्त भुगतान सुरक्षित करने के लिए किसी बीजी की आवश्यकता नहीं होगी। उद्योग पारंपरिक हो गया है और बीजी के पिछले अभ्यास की अब आवश्यकता नहीं है।
5. स्पेक्ट्रम अवधि: भविष्य की नीलामी में, स्पेक्ट्रम की अवधि 20 से बढ़ाकर 30 वर्ष कर दी गयी।
6. भविष्य की नीलामी में हासिल किये गये स्पेक्ट्रम के लिए 10 साल के बाद स्पेक्ट्रम के समर्पण की अनुमति दी जायेगी।
7. भावी स्पेक्ट्रम नीलामियों में प्राप्त स्पेक्ट्रम के लिए कोई स्पेक्ट्रम शुल्क (एसयूसी) नहीं।
8. स्पेक्ट्रम शेयर को प्रोत्साहित किया गया -स्पेक्ट्रम शेयरिंग के लिए 0.5% का अतिरिक्त एसयूसी हटाया गया।
9. निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए, दूरसंचार क्षेत्र में स्वतः मार्ग के तहत 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की अनुमति है। सुरक्षा के सभी उपाय लागू होंगे।

प्रक्रियात्मक सुधार

1. नीलामी कैलेंडर तय: स्पेक्ट्रम नीलामी सामान्यतः प्रत्येक वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही में आयोजित की जाती है।
2. ईज ऑफ डुइंग बिजनेस को बढ़ावा दिया गया - वायरलेस उपकरणों के लिए 1953 सीमा शुल्क अधिसूचना के तहत लाइसेंस के बोझिल आवश्यकता को हटा दिया गया है। इसके स्थान अब स्व-घोषणा ले ले लिया है।
3. अपने ग्राहकों को जाने (केवाईसी) सुधार: सेल्फ-केवाईसी (ऐप आधारित) की अनुमति है। ई-केवाईसी दर केवल एक रुपये में संशोधित की गयी है। प्रीपेड से पोस्टपेड और इसके विपरीत स्थानांतरण के लिए नये केवाईसी की आवश्यकता नहीं होगी।
4. पेपर कस्टमर एक्विजिशन फर्म (सीएएफ) को डेटा के डिजिटल स्टोरेज से बदल दिया जायेगा। टीएसपी के विभिन्न गोदामों में पड़े लगभग 300-400 करोड़ पेपर सीएएस की आवश्यकता नहीं होगी। सीएएस के वेयरहाउस ऑडिट की आवश्यकता नहीं होगी।
5. दूरसंचार टॉवरों के लिए एसएसीएफ मंजूरी में ढील दी गयी है। डॉट स्व-घोषणा के आधार पर पोर्टल पर डेटा स्वीकार

TELECOM REFORMS

basis. Portals of other Agencies (such as Civil Aviation) will be linked with DOT Portal.

ADDRESSING LIQUIDITY REQUIREMENTS OF TELECOM SERVICE PROVIDERS

The Cabinet approved the following for all the Telecom Service Providers (TSPs):

1. Moratorium/Deferment of upto four years in annual payments of dues arising out of the AGR judgement, with however, by protecting the Net Present Value (NPV) of the due amounts being protected.
2. Moratorium/Deferment on due payments of spectrum purchased in past auctions (excluding the auction of 2021) for upto four years with NPV protected at the interest rate stipulated in the respective auctions.
3. Option to the TSPs to pay the interest amount arising due to the said deferment of payment by way of equity.
4. At the option of the Government, to convert the due amount pertaining to the said deferred payment by way of equity at the end of the Moratorium/Deferment period, guidelines for which will be finalized by the Ministry of Finance.

The above will be applicable for all TSPs and will provide relief by easing liquidity and cash flow. This will also help various banks having substantial exposure to the Telecom sector. ■

करेगा। अन्य एजेंसियों के पोर्टल (जैसे नागरिक उड्डन) को डीओटी से जोड़ा जायेगा।

दूरसंचार सेवा प्रदाताओं की नकदी की आवश्यकताओं को संबोधित करना

कैबिनेट ने सभी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं (टीएसपी) के लिए निमलिखित को मंजूरी दी है:

1. एजीआर निर्णय से उत्पन्न होने वाले देय राशि के वार्षिक भुगतान में चार साल तक की मोहलत/आस्थगन, हालांकि, देय राशियों के शुद्ध वर्तमान मूल्य (एनपीवी) की रक्षा करके संरक्षित किया जा रहा है।
2. संबंधित नीलामियों में निर्धारित ब्याज दर पर संरक्षित एनपीवी के साथ चार साल तक के लिए पिछली नीलामियों (2021 के नीलामी को छोड़कर) में खरीदे गये स्पेक्ट्रम के देय भुगतान पर अधिस्थगन/आस्थगन।
3. टीएसपी की इक्विटी के माध्यम से भुगतान के उक्त आस्थगन के कारण उत्पन्न होने वाली ब्याज राशि का भुगतान करने का विकल्प।
4. सरकार के विकल्प पर, उक्त आस्थगित भुगतान से संबंधित देय राशि को अधिस्थगन/आस्थगन अवधि के अंत में इक्विटी के माध्यम से परिवर्तित करने के लिए, जिसके लिए वित्त मंत्रालय द्वारा दिशा-निर्देशों को अंतिम रूप दिया जायेगा।

उपरोक्त सभी टीएसपी के लिए लागू होगा और नकदी और तरलता के प्रवाह को आसान बनाकर राहत प्रदान करेगा। इससे विभिन्न बैंकों को दूरसंचार क्षेत्र में पर्याप्त निवेश करने में मदद मिलेगी। ■

INDIA'S MOST RESPECTED TRADE MAGAZINE FOR THE CABLE TV, BROADBAND, IPTV & SATELLITE INDUSTRY



MAGAZINE

- ❖ In-depth & Unbiased Market Information
- ❖ Technology Breakthroughs
- ❖ Reaches More Than 40,000 Personnel Across The Satellite & Cable TV Industry every month

... You Know What You are doing
But Nobody Else Does

ADVERTISE NOW!

Contact: Mob.: +91-7021850198 Tel.: +91-22-6216 5313 Email: scat.sales@nm-india.com